### सं. S-66011/1/2010-IR(PL)

#### भारत सरकार

#### श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली, दिनांकित 4 अप्रैल, 2013

#### प्रेषित,

- 1. सचिव, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
- 2. सचिव, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग)
- 3. सचिव, कृषि मंत्रालय
- 4. मुख्य सचिव, असम राज्य सरकार
- 5. मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार
- 6. मुख्य सचिव, तमिलनाडु राज्य सरकार
- 7. म्ख्य सचिव, कर्नाटक राज्य सरकार
- 8. म्ख्य सचिव, केरल राज्य सरकार
- 9. मुख्य सचिव, त्रिपुरा राज्य सरकार
- 10. मुख्य सचिव, पश्चिम बंगाल राज्य सरकार
- 11. नियोक्ता और श्रमिक संगठन
- 12. सहयोगित सदस्य

# विषय: बागान उद्योग पर त्रिपक्षीय औद्योगिक समिति का प्नर्गठन।

\*\*\*\*\*\*

### महोदय,

बागान उद्योग पर औद्योगिक त्रिपक्षीय समिति के गठन पर इस मंत्रालय के पूर्व पत्र सं S-66011/1/2010/IR (PL) दिनांक 3 फरवरी, 2012 का अतिक्रमण करते हुए, तत्काल प्रभाव से बागान उद्योग पर औद्योगिक त्रिपक्षीय समिति का निम्नलिखित सदस्यों के साथ पुनर्गठन किया जाता है:

# सभापतिः श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

उप-सभापतिः सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय

#### सरकारी प्रतिनिधित्व

## (क) <u>केन्द्रीय सरकार</u>

- i) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
- ii) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
- iii) वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग)
- iv) कृषि मंत्रालय

## (ख) राज्य सरकारें

असम, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारें।

### ॥. नियोक्ता प्रतिनिधित्वः

~	कुल	11 सीटें
ix)	पूर्वीत्तर चाय संघ (एनईटीए)	1 सीट
viii)	टी एसोसिएशन ऑफ इंडिया	1 सीट
vii)	भारतीय चा परिषद	1 सीट
vi)	इंडियन टी प्लांटर्स एसोसिएशन	1 सीट
v)	यूनाइटेड प्लांटर्स एसोसिएशन ऑफ साउथ इंडिया	3 सीटें
iv)	भारतीय चाय संघ	1 सीट
iii)	कॉनफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़	1 सीट
ii)	असम टी प्लांटर्स एसोसिएशन	1 सीट
i)	दार्जीलिंग चाय संघ	1 सीट

#### ॥।. श्रमिक प्रतिनिधित्वः

<u> পাধক</u>	<u>प्रातानाधत्वः</u>	
i)	इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस (इंटक)	3 सीटें
ii)	भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र (सीटू)	2 सीटें
iii)	यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस	1 सीट
iv)	हिंद मजदूर सभा (एचएमएस )	1 सीट
v)	ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एटक)	1 सीट
vi)	भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस)	1 सीट
vii)	नेशनल फ्रंट ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस-धनबाद (एनएफआईटीयू-डीएसए	!न)1 सीट
	कुल	10 सीटें

### IV. <u>सहयोगित सदस्य</u>

- i) श्री एस. वी.के. शर्मा, निवासी नॉर्थ ईस्ट गीतानगर, गुवाहाटी-781021
- ii) श्री सी.एन. नटराज, द्वार संख्या 203, पितृ छाया, पूजा अपार्टमेंट, नं. 42, विद्वल माल्या रोड, बंगलूर-1
- iii) श्री अरुण सांगवान, मकान नंबर 167, रविदास बस्ती, कलियाना रोड, चरखी दादरी, जिला भिवानी, हरियाणा।
- iv) श्री एस. उदय सिंह प्रतापराव चवान, फ्लैट नंबर 701, 7वीं मंजिल, सी-विंग शीतल धारा कॉम्प्लैक्स, सेक्टर 7, प्लॉट नंबर 28, कामोथे, नवी मुंबई-410 209
- v) श्री थॉमस कल्लादन,कल्लट हाउस, रामपुरम बाजार पी.ओ., कोट्टयम, केरल
- vi) श्री कारावुर सुरेश, कुरुम्पनमकुजही वीडू, कारावुर पी.ओ. पिरावंथूर, कोल्लम, केरल
- vii) श्री ए.के. मणि, पूर्व विधायक, मुन्नार, केरल

- 2. त्रिपक्षीय औद्योगिक समिति का कार्य सभी हितधारकों के बीच समस्याओं की एक बेहतर समझ लाने के लिए, उन समस्याओं का अध्ययन करना और उन पर चर्चा करना और ऐसी समस्याओं के समाधान में सलाह देना है, जो बागान उद्योग के लिए विशेष हैं।
- 3. सदस्य बैठक में भाग लेने के लिए अपने साथ एक सलाहकार ला सकते हैं। हालांकि, सलाहकार को बैठक में भाग लेने के लिए मंत्रालय द्वारा टीए / डीए का भुगतान नहीं किया जाएगा।
- 4. सभी सदस्यों से कार्य-सूची की मदें/मुद्दे चर्चा के लिए, 30 दिनों की अवधि के भीतर प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाता है, यदि पहले नहीं भेजे गए हैं, ताकि मंत्रालय बागान उद्योग पर औद्योगिक त्रिपक्षीय समिति की पहली बैठक की कार्यसूची को अंतिम रूप देने में सक्षम हो जो, इसके बाद, माननीय मंत्री, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी।

भवदीय, (बाबू चेरियन) उप सचिव (आईआर ) टेलीफैक्स: 23753079

#### प्रतिलिपिः

- 1. एलईएम के लिए पीएस
- 2. एमओएस (एलएंडई) के लिए पीएस
- 3. सचिव (एलएंडई) के लिए पीएसओ, एएस और डीजीएलडब्ल्यू, एएस और डीजीईटी, प्रिंसिपल एलईए, संयुक्त सचिव (सीपी)/संयुक्त सचिव (एपी)
- 4. सीएलसी(सी)/महानिदेशक, ईएसआईसी/निदेशक, श्रम ब्यूरो, चंडीगढ़
- 5. डीजीएफएएसएलआई और सभी नीति अनुभाग